नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

दतिया विधानसभा उपचुनाव

दतिया के भाग्य का फैसला आज

नव भारत न्यूज

दतिया, 29 जुलाई. मध्यप्रदेश की हाईप्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसभाओं, रैलियों और लाउडस्पीकरों का शोर अब थम गया है.

चुनाव प्रचार का अंतिम समय पूरा होते ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बाहरी नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. अब चुनावी रणभूमि का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और प्रत्याशी डोर-टू-डोर (घर-घर) जनसंपर्क कर मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं. प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान की तारीख 30 जुलाई को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना व परिणाम 3 अगस्त को आयेगें।

प्रचार का शोर थमते ही सभी प्रमुख दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी रणनीति बदल ली है. बड़े मंचों और रैलियों की जगह अब व्यक्तिगत संवाद ने ले ली है. प्रत्याशी और उनके नजदीकी समर्थक देर रात तक मोहल्लों, कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों में घर-घर पहुंचकर अपने पक्ष में वोट की अपील करने की योजना बना रहे हैं. इस 'साइलेंट पीरियड' (मौन अवधि) में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की अंतिम कोशिशें की जाएगी. कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध अवधि के दौरान शराब का क्रय-विक्रय, परिवहन, भंडारण एवं अवैध बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.

चुनाव प्रचार का शोर थमा

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और धारा 144 लागू

चुनाव आयोग और स्थानीय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. दतिया की सीमा से लगे अन्य जिलों और राज्यों के बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें या आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जा रही है. जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे 30 जुलाई को बिना किसी भय और दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें.

उपचुनाव के मद्देनजर शराब दुकानें रहेंगी बंद

ग्वालियर. दतिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-22 के उपचुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने अहम आदेश जारी किया है. जिसके तहत दतिया विधानसभा क्षेत्र से लगे ग्वालियर जिले के तीन किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्र में संचालित सभी शराब दुकानों एवं अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त मदिरा केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र में 28 जुलाई को शाम 6 बजे से 30 जुलाई को मतदान समाप्त होने तक सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी. इस अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया गया है.

ईवीएम में कैद होगा भावी नेता का भाग्य

मतगणना व परिणाम 3 अगस्त को

■ प्रशासन मुस्तैद : सुरक्षा के कड़े इंतजाम

स्थानीय निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। संवेदनशील बूथों पर पैनी नज़र: सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती के साथ-साथ वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। सभी मतदान दलों को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। दिव्यांग एवं बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था: व्हीलचेयर, पेयजल और छाया की विशेष व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है ताकि मतदाताओं को कोई असुविधा न हो।

■ साइलेंट वोटर और चुनावी समीकरण

नेताओं के दावों और तूफानी चुनाव प्रचार के बीच इस बार 'मतदाता की खामोशी' ने दोनों प्रमुख दलों (भाजपा और कांग्रेस) की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दतिया का आम नागरिक मुद्दों पर अपनी राय तो रख रहा है, लेकिन अपना रुख स्पष्ट करने से बच रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है: भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। विकास कार्य, स्थानीय जनसमस्याएं और अंदरूनी राजनीतिक जोड़-तोड़ इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

■ मतगणना के दिन होगा असली खुलासा

आज शाम ईवीएम सील होने के बाद उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला सुरक्षा घेरे में बंद हो जाएगा। कौन सा प्रत्याशी दतिया की जनता का दिल जीतने में कामयाब रहा और मतदाता की इस खामोशी का असली संदेश क्या था, इसका खुलासा 3 अगस्त (मतगणना दिवस) मतगणना वाले दिन ही होगा।

निर्भीक होकर करें मतदान : खंडेलवाल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 जुलाई. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है.

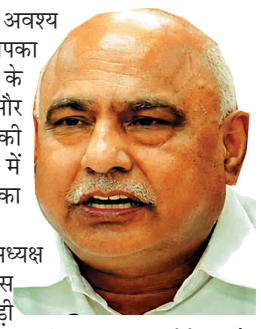

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह पर्व उत्साह, शांति और सौहार्द के मनाकर मध्यप्रदेश के लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त और शांतिपूर्ण मतदान की गौरवशाली परंपरा निभाने में सदैव अग्रणी रखना है. पूर्ण विश्वास है कि दतिया विधानसभा क्षेत्र के भाई-बहन, माताएं, युवा, वरिष्ठजन एवं नवमतदाता पूरे उत्साह, जागरूकता व जिम्मेदारी के साथ मतदान कर लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेंगे. खण्डेलवाल ने कहा कि यह मतदान केवल हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है. इसलिए प्रत्येक मतदाता बिना किसी लोभ, लालच, भय और दबाव के निर्धारित समय पर अपने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करे. आपका प्रत्येक वोट दतिया के विकास, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस उपचुनाव में बड़ी संख्या में नवमतदाता पहली बार मतदान करेंगे. उनके लिए यह लोकतंत्र के महापर्व में सहभागी बनने का ऐतिहासिक अवसर है. लोकतंत्र की मजबूती तभी सुनिश्चित होगी, जब प्रत्येक नागरिक अपने मत का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करेगा. उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान शांति, सौहार्द और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना मप्र की पहचान रही है.

पटवारियों ने ऑनलाइन कार्यों का किया बहिष्कार

भिण्ड. जिले में मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है. जिला स्तरीय बैठक में पटवारियों ने 28 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया है. इस अवधि में सारा सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े कार्य नहीं किए जाएंगे. लहार में आयोजित बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि शासन के समक्ष लंबे समय से पटवारियों की पांच न्यायोचित मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक उनका निराकरण नहीं किया गया है. इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है.

चेतन नाथ के नशा नेटवर्क पर पुलिस ने कसा शिकंजा

इंदौर. गांजा और एमडी ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार कुख्यात बदमाश चेतन नाथ के एक और साथी को द्वारकापुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी अंकित यादव चेतन के साथ मिलकर नशे के कारोबार में शामिल था. करीब एक माह से उसकी तलाश कर रही पुलिस ने बुधवार को उसे पकड़ लिया. मामले में अब भी दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. कुछ समय पहले द्वारकापुरी पुलिस ने चेतन नाथ को 8 किलो गांजा, एमडी ड्रग्स और 19 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उसने अपने साथियों के नाम बताए थे, जिनमें बालदा कॉलोनी निवासी अंकित पुत्र अशोक यादव भी शामिल था. पुलिस ने जांच के बाद अंकित को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उससे चेतन नाथ के साथ नशे के कारोबार और अन्य गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. अंकित के खिलाफ पहले से 10 अपराध दर्ज हैं, जिनमें नशे से जुड़े मामले, मारपीट सहित अन्य अपराध शामिल हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि चेतन नाथ का परिवार पहले से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है.

एफआईआर रद्द होने पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुआवजा अमान्य : हाईकोर्ट

नव भारत न्यूज

ग्वालियर, 29 जुलाई. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि यदि एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को न्यायालय पहले ही निरस्त कर चुका है, तो पीड़ित या उसके परिजन सरकारी वित्तीय सहायता अथवा मुआवजे के हकदार नहीं रह जाते.

ग्वालियर कोर्ट का बड़ा फैसला

जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने मुन्ना बाबू शाक्य की 8.50 लाख रुपये के मुआवजे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब मूल आपराधिक मामला ही समाप्त हो चुका है, तब मुआवजे का कानूनी आधार भी समाप्त हो जाता है. यह मामला राकेश शाक्य की आत्महत्या से जुड़ा था, जिसमें पत्नी के कथित अवैध संबंधों और प्रताड़ना के आरोपों के आधार पर आईपीसी की धारा 306, 34 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को एफआईआर, चार्जशीट और पूरी आपराधिक कार्यवाही यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि जातिगत दुर्भावना अथवा एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध का प्रथमदृष्टया कोई आधार नहीं बनता. अपने ताजा आदेश में कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी नियमों के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उद्देश्य पीड़ितों का पुनर्वास है, लेकिन यह तभी संभव है जब अधिनियम के तहत अपराध का अस्तित्व या प्रथमदृष्टया आधार बना रहे.

शादी से इंकार पर युवती की हत्या

- शव जलाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश
- शादी से इनकार करना युवती को पड़ा भारी

नव भारत न्यूज

इंदौर. खजराना थाना क्षेत्र के तपेश्वरी बाग में युवती की जलने से हुई मौत के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया. शादी से इनकार करने पर उसके दोस्त मयंक शाक्य ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में शव जलाकर घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

रविवार 26 जुलाई को तपेश्वरी बाग में एक युवती के जले हुए शव मिलने की सूचना पर खजराना पुलिस मौके पर पहुंची थी. शुरुआत में मामला संदिग्ध मौत का लग रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच में हत्या के संकेत मिले. युवती द्वारा शादी से इनकार करने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी बात से नाराज होकर मयंक ने उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाकर आत्महत्या की कहानी बनाने का प्रयास किया.

बहियाटिकूर में मिला बाघ का शव, उठे सवाल

- घटना के बाद वन्यजीवों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह
- बाघ की मृत्यु पर जांच के बाद होगा वास्तविक खुलासा

नव भारत न्यूज

बालाघाट, 29 जुलाई. दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट परिक्षेत्र लालबर्रा अंतर्गत बोरी ग्राम के पोटूटोला क्षेत्र में एक बाघ का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

फिलहाल बाघ की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. वन विभाग द्वारा पोस्टमार्टम और अन्य आवश्यक जांच की कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे है.

एक ओर जहां प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा. है वहीं दूसरी तरफ टाईगर स्टेट का गौरव प्राप्त प्रदेश के बालाघाट जिले के लालबर्रा वन परिक्षेत्र कान्हा टू पेंच कारीडोर घोषित क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में बाघ का शव मिलना वन विभाग की लापरवाही की ओर इशारा करता है

बहरहाल किन परिस्थितियों में बाघ की मौत हुई वन विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

रामनवमी हिंसा प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में 11 आरोपी बरी

खरगोन. शहर में एक अदालत ने वर्ष 2022 के रामनवमी हिंसा प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में 11 आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ ने 27 जुलाई को सुनाए निर्णय में इबादत अली, सादिक खान, अब्दुल्ला खान, साहब उर्फ शाहिब, शेर यार, फैसल खान, आजम खान, शब्बीर खान, इमरान अली, मुश्ताक अली सहित अन्य को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.

कोदो और कटंगी गुड़ को राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे

सांसद भारती पारधी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेंट किए स्थानीय उत्पाद

नव भारत न्यूज

बालाघाट, 29 जुलाई. बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारती पारधी ने केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट कर जिले की जैविक कृषि विरासत को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास किया.

इस दौरान उन्होंने बालाघाट का प्रसिद्ध जैविक कोदो (श्रीअन्न) और कटंगी का जैविक गुड़ भेंट किया. सांसद ने कहा कि ये उत्पाद जिले की समृद्ध कृषि परंपरा, जैविक खेती और किसानों की मेहनत का प्रतीक हैं.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने के बाद कोदो जैसे मोटे अनाजों की मांग लगातार बढ़ी है. बालाघाट के आदिवासी अंचलों में परंपरागत रूप से उगाया जाने वाला कोदो पोषण, स्वास्थ्य और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वहीं कटंगी का जैविक गुड़ अपनी शुद्धता और पारंपरिक निर्माण विधि के कारण पूरे क्षेत्र की पहचान बन चुका है.

4 देशी कट्टा और 2 कारतूस के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार

नव भारत न्यूज

जबलपुर, 29 जुलाई. सिहोरा पुलिस ने सिलौड़ी रोड पर घेराबंदी कर एक शातिर बदमाश को दबोचा है, जिसके कब्जे से 4 देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं. अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का नेटवर्क ज्वालामुखी तक जुड़ा हुआ है. पुलिस अब मुख्य सप्लायर की तलाश कर रही है.

थाना प्रभारी सिहोरा, प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि हड़हा मोहल्ला निवासी भानू तिवारी नाम का युवक मामे दा ढाबा के पीछे किसी अज्ञात खरीदार को देशी कट्टे की डिलीवरी देने की बात कर रहा था. इस इनपुट पर तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने मामे दा ढाबा के आगे, मुरूम खदान के पास सिलौड़ी रोड पर दबिश दी. तभी . पुलिस की गाड़ियों को देखते ही भागने का प्रयास कर रहे भानू तिवारी (29), निवासी वार्ड नंबर 1, हड़हा मोहल्ला, सिहोरा को चारों तरफ से घेराबंदी कर दबोच लिया गया. पुलिस ने जब वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसके हाथ में मौजूद कत्थाई थैले की तलाशी ली, तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. थैले के अंदर कागजों में लपेटकर रखे गए 4 अवैध देशी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने हथियारों को तुरंत जब्त कर प्रकरण दर्ज कर लिया.

कार में छिपाकर अवैध पिस्टल ले जाते धराए

इंदौर. अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चार देशी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, कार और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. आरोपी हथियारों को शहर में सप्लाई करने की फिराक में थे. क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रीजनल पार्क रोड स्थित वृंदावन गार्डन के सामने एक कार में दो संदिग्ध अवैध हथियार लेकर बैठे हैं. तलाशी लेने पर कार के डैशबोर्ड में छिपाकर रखी चार देशी पिस्टल, मैगजीन और चार जिंदा कारतूस मिले. पुलिस ने हथियारों के साथ कार और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. जब्त सामान की कुल कीमत करीब छह लाख रुपए बताई गई है.

कार्रवाई | बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के चला रहे थे मेडिकल स्टोर

भिण्ड में नौ मेडिकल स्टोर्स को किया निलंबित

नव भारत न्यूज

भिण्ड, 29 जुलाई. जिले में औषधि प्रशासन विभाग ने अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नौ मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित कर उनके दवा क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है.

औषधि निरीक्षक डॉ. आकांक्षा गरुड़ ने भिण्ड और फूप क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान फूप स्थित विकास मेडिकल एजेंसी, महावीर मेडिकल स्टोर, गोविंद मेडिकल स्टोर, अशोक मेडिकल स्टोर, अभई मेडिकल स्टोर, जैन मेडिकल स्टोर सहित अन्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, फार्मासिस्ट की उपलब्धता और दवाओं के अभिलेखों की जांच की गई.

निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए कि बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट अथवा सक्षम व्यक्ति की उपस्थिति के मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं किया जाए. साथ ही नशीले पदार्थों के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली दवाओं के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करने तथा निरीक्षण के समय प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों ने यह भी कहा कि शेड्यूल दवाओं का विक्रय बिना पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के नहीं किया जाए और खरीद-बिक्री से संबंधित सभी अभिलेख नियमों के अनुरूप रखे जाएं.

इनके हुए लायसेंस निरस्त

डॉ. गरुड़ ने बताया कि पूर्व में जिले के कई मेडिकल स्टोरों में निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए थे. इनमें मिहोना के गिर्राज मेडिकल स्टोर और शीला मेडिकल स्टोर, लहार के विनय मेडिकल स्टोर, श्री गणेश मेडिकल स्टोर और मां शारदा मेडिकल स्टोर, रौन के विधि मेडिकल स्टोर, पिथनपुरा के नरवरिया ड्रग हाउस तथा गोहद के राज मेडिकल स्टोर और अनिल मेडिकल स्टोर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि संबंधित संचालकों द्वारा नोटिस का संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इन नौ मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित कर दवा क्रय-विक्रय पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई है.

मासूम से दुष्कर्म का आरोपी निगरानी में

ग्वालियर. गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी में सोमवार तड़के एक 5 साल की मासूम के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग को निगरानी में लिया है। पीड़िता का परिवार मूल रूप से अटेर, भिंड का रहने वाला है और वर्तमान में नारायण विहार में किराए के कमरे में रहता है। इसी दौरान मकान मालिक का 14 वर्षीय नाबालिग बेटा कमरे में आ गया और वारदात को अंजाम दिया। मां की नींद खुलने पर उसने आरोपी को देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का पुनर्गठन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 जुलाई. राज्य शासन ने राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में पुनर्गठन किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है.

आदेश में उल्लेख है कि भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के तहत कृषि उपज मंडी समितियों को शामिल किए जाने की कार्यवाही के संबंध में भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रसारित गाइडलाइन्स अनुसार प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना में शामिल किए जाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का पुनर्गठन किया है. समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वित्त और डॉ. एस.के. सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, मंडी विकास एवं सुधार प्रकोष्ठ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे. प्रबंध संचालक, मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सदस्य-सचिव नामित किया गया है.

चार श्रम संहिताओं के अंतिम प्रारूप तैयार करने समिति गठित

भोपाल. केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार श्रम संहिताओं के तहत मप्र शासन, श्रम विभाग द्वारा समुचित सरकार के रूप में चार राज्य नियमों को लागू किया जाना है. श्रम विभाग द्वारा मप्र वेतन संहिता नियम 2026, मप्र औद्योगिक संबंध नियम 2026, मप्र सामाजिक सुरक्षा नियम 2026 और मप्र उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियम 2026 राज्य नियमों के प्रारूप तैयार किये गये हैं. राज्य शासन द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन अमित राठौर प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर की अध्यक्षता में किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में जॉन किंग्सली सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन को सदस्य बनाया गया है. रघुराज राजेन्द्रन सचिव श्रम को सदस्य-सचिव नामित किया गया है. समिति के समक्ष श्रम विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप नियमों पर श्रमायुक्त द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाएगा. समिति द्वारा प्रारूप नियमों का अनुमोदन किए जाने के उपरांत उन्हें वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा.